हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग

संख्याः ई.डी.एन.(टीई)ए(3)28/2015 दिनांकः शिमला-02,

15 मार्च, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 03.04.2014 द्वारा अधिसूचित तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश में आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नित्खित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

- 1{1} इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवम् प्रशिक्षण विभाग, आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग–1 (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नित (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध-'क' का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग—1 (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2014 के उपाबन्ध—''क''— में— स्तम्भ संख्याः 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्निखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

09 (नौ)
टैक्सटाइल इंजीनियरिंग—02
मकैनिकल इंजीनियरिंग—02
कम्प्यूटर इंजीनियरिंग—01
सिविल इंजीनियरिंग—01
इलैक्ट्रोनिक्स और टेली कोमुनिकेशन—02
इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग—01

आदेश द्वारा

संजय गुप्ता प्रधान सचिव (तक०शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

Jac.

पृष्ठांकन संख्याः ईडीएन(टीई)ए(3)28/2015 तारीखःशिमला—2, 15 मार्च, 2016 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- .1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–02
- 2. सचिव, हि०प्र०लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- निदेशक तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि०प्र०, सुन्दरनगर,जिला मण्डी।
- 4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हि0प्र0शिमला—5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
- 5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि),हि०प्र० सचिवालय,शिमला-02
- 6. वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड-2, विधि विभाग,हि०प्र० सचिवालय।

अवर समिक (तक०शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार । (Authoritative English text of this Department Notification of even number dated.15..03.2016 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Technical Education Department

No. EDN(TE)A(3)28/2015

Dated:Shimla-2, the

15 March, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rule to amend the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Professor (Engineering), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2014 notified vide this Department notification of even number dated 03.04.2014 namely:-

Short title and commencement

- 1(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Professor (Engineering), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2016.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- Amendment of 2. Annexure-"A"

In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Professor (Engineering), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014:-

For the existing provisions against the Column No. 2, the following shall be substituted as namely:-

09 (Nine)	er en
Textile Engineering	=02 (two)
Mechanical Engineering	=02 (two)
Computer Science & Engineering	=01 (one)
Civil Engineering	=01 (one)
Electronics & Tele Communication	=02 (two)
Electrical Engineering	=01 (one)

BY ORDER

SANJAY GUPTA
Principal Secretary (TE) to the
Government of Himachal Pradesh

Ma

Dated:Shimla-2, Endst No. As above

15 March, 2016

Copy forwarded to:-

All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2. 1.

The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 alongwith 02 copies. 2.

The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. 3. Sundernagar, District Mandi -174401.

The Controller, Printing & Stationery, H.P. Shimla-171005 for publication in 4. Rajpatra, Himachal Pradesh.

The ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh. 5.

The Senior Law Officer (H), Law Department, H.P. Sectt. Shimla-2. 6.

> Under Secretary (TE) to the Government of Himachal Pradesh